

22
21/5/15 वकील बाबी एका समय लादी मानुपरिचित। उर्दे छहर

छहर कर अदालत उठने तक आवेजे कजाई जाई परन्तु अदालत
उठने तक कोई अदालत उपस्थित नही भाया अतः वाद पत्र अदम
पैरवी अदम हाजिरी मे खा रिज किया जाता है पत्राफली फैलल
शुमार होकर नम्बर से कम ही। बाद दफतर दाखिल हो।

De
अधिकारी
(अध्यापक)

